न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 396/2024

दायर दिनांक 02.07.2024

निर्णय दिनांक 30.04.2025

1. श्री श्यामसुन्दर पिता स्व0 भवंरलाल गुर्जर, नाबालिग सरंक्षम माता श्रीमती रतनी पत्नी भवंरलाल गुर्जर निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पुत्री छीतर गुर्जर, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मंजू पुत्री भवंरलाल गुर्जर, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामचन्द्र पुत्र छीतर गुर्जर, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. विनोद पुत्र भवंरलाल गुर्जर, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शंकर पुत्र छीतर गुर्जर, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री मांगीलाल सेन।
2. विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 06 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम जोधडास पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 123 में आराजी नम्बर 141/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 142/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 124 में आराजी नम्बर 143 रकबा 0.36678 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 144/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 147/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी के पिता भंवरलाल जी गुर्जर की मृत्यु हो चूकी है जिनमे विधिक वारीस कमशः श्यामसुन्दर (पुत्र), विनोद (पुत्र), मंजू (पुत्री), रतनी (पत्नी) है इनके अलावा ओर कोइ वारीस नही हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि खाता संख्या 123 आराजी नम्बर 141/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 142/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल कीता 02 एक कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर खाता संख्या 124 आराजी नम्बर 143 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 144/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 147/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कुल कीता 04 एक कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि में भंवर लाल जी गुर्जर का नाम भी सहखातेदार के रूप में दर्ज था जिनकी मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरण खोला गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उसमे प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर अंकित करने के बजाय बिना किसी आधार के बंटी पुत्र भंवर लाल अंकित कर दिया जिसमे राजस्व रेकॉर्ड मे भी बंटी दर्ज कर दिया जब कि भंवर लाल जी गुर्जर के बंटी नाम का कोइ पुत्र ही नहीं है बंटी के बजाय श्यामसुन्दर अंकित होना चाहिये था जो नहीं होकर गलतरूप से बंटी अंकित किया है जिसमे दुरस्ती कि जाकर श्यामसुन्दर अंकित किया जाने हेतु यह आवेदन प्ररस्तुत है प्रार्थना पत्र की ताइद में प्रार्थी का शपथ पत्र एवं प्रार्थी श्यामसुन्दर के सरकारी रेकॉर्ड के दस्तावेज आधार कार्ड, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की पास बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का प्रमाण पत्र संख्या 0584264 प्रस्तुत है।

वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम बंटी पुत्र भंवर लाल गुर्जर गलत अंकित है जो कि श्यामसुन्दर पिता भंवर लाल अंकित होना चाहिये जिसमे दुरस्थी की जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा के यहां दिनांक 30/03/2024 को आवेदन प्ररस्तुत किया व समस्त दस्तावेज प्ररस्तुत किये किन्तु उन्होने स्वयं के स्तर पर रेकॉर्ड में दुरस्थी मे इन्कार कर दिया व सक्षम न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत दी अतः प्रार्थी को विपक्षीगण मे विरूद्ध प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत आवेदन प्ररस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ग्राम जोधडास प०ह० मालौला तहसील व जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 123 में आराजी नम्बर 141/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 142/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 124 में आराजी नम्बर 143 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 144/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 147/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर में बंटी पुत्र भंवर लाल गुर्जर के बजाय श्याम सुन्दर पिता भंवर गुर्जर अंकित कर रेकॉर्ड मे दुरस्थी कराया जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार भीलवाडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 3075 दिनांक 06.12.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि मौके पर उपस्थित खातेदारों से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि ग्राम जोधडास के खाता संख्या 123, 124 में ना. बंटी पुत्र भवंर सरक्षंक सरपरस्त माता रतनी नाम रेकार्ड में दर्ज है। जबकि प्रार्थी बंटी का सभी दस्तावेजों में नाम श्यामसुन्दर पिता भवंर जाति गुर्जर नाम है। सभी सह खातेदारों ने बताया कि दोनो जमाबन्दी 123, 124 में बंटी के बजाय श्यामसुन्दर कर दिया जाने से सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। सहखातेदारों ने बताया कि भविष्य में कोई भी वाद विवाद होने पर समस्त जिम्मेदारी सहखातेदारों की होगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी श्यामसुन्दर पुत्र भवंरलाल के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 की मार्कशीट मय प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की तथा ग्राम पंचायत मालोला के सरपंच द्वारा प्रार्थी श्यामसुन्दर का घर का नाम बंटी होने व सरकारी रेकार्ड के दस्तावेज में नाम श्यामसुन्दर होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी का स्वयं एवं प्रार्थी की माता रतनी देवी एवं अप्रार्थी शंकर, विनोद, मंजु, चांदी, रामचंद्र गुर्जर के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है।

उपखण्ड अधिक...
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्रों का अध्ययन किया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के सरकारी रेकार्ड के दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज की मार्कशीट में श्यामसुन्दर नाम अंकित है किन्तु प्रार्थी का घर का नाम बंटी होने के कारण राजस्व रेकार्ड में भी बंटी दर्ज कर दिया गया, जबकि भवंरलाल गुर्जर के बंटी नाम का कोई पुत्र नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा भी राजस्व रेकार्ड में बंटी पुत्र भवंर लाल गुर्जर के बजाय श्यामसुन्दर पुत्र भवंर गुर्जर अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी के सभी पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम श्यामसुन्दर पिता भवंर गुर्जर अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम जोधडास प०ह० मालौला तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 123 में आराजी नम्बर 141/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 142/1 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 124 में आराजी नम्बर 143 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 144/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 147/1 रकबा 0.4173 हैक्टेयर कुल कीता 04 कुल रकबा 1.1507 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम बंटी पुत्र भंवर लाल गुर्जर के बजाय बंटी उर्फ श्याम सुन्दर पिता भवंर गुर्जर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

(विश्वराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा